तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टि0ए0/5340/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/5362/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/6198/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.4.21	**एकल पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रदीप नेहरा, अधिवक्ता प्रार्थी **निर्णय** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा द्वारा निगरानी संख्या 5340/2006 प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध, निगरानी संख्या 6198/2006 प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1, सी0पी0सी0 को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध तथा निगरानी संख्या 5362/2006 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 64/04 में पारित किए गए आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। तीनों प्रकरणों में निहित पक्षकार, विवाद बिन्दु समान होने से तीनों निगरानियों को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। निर्णय तीनों पत्रावलियों में लगाया जाए। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/गैर निगराकार की ओर से परीक्षण न्यायालय के समक्ष घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 155/2007 इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित पीलीबंगा के चक नम्बर 76750 आर.डी. के प.नं. 65/366 के किला नम्बर 1/.228, 2 ता 9/2.024, 10/.228, 11/.076, 12/. 177, 13 ता 16/1.012, 17/.215, 18/.051, 24/. 013, 15/.052 कुल रकबा 4.176 है0 व चक 16 ZWD की आराजी प.नं. 65/366 के किला नम्बर 19/.051, 20/.152, 21/.228, 22/.253, 23/.164, 244/.084 कुल रकबा 0.937 है0 प्रतिवादी संख्या–1 अलादीन को जरिये वसीयत दिनांक 26–8–1975 रामजान वल्द सुलेमान से प्राप्त हुई है। वादी का प्रश्नगत आराजी पर पिछले 32–33 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और वादी टाइटल बाई पजैसन से भूमि का खातेदार होने का अधिकारी हे। खातेदार रामजान वल्द सुलेमान ने अपनी आवंटित उक्त आराजी जिसकी वसीयत उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या–1 अलादीन के पक्ष में की है, अलादीन के कोई वारिस नहीं है और रमजान का देहान्त दिनांक 5–1–1979 को हो गया है। प्रतिवादी संख्या–1 ने जरिये इकरारनामा दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टि0ए0/5340/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/5362/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/6198/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27-3-2004 चक नम्बर 76750 आर.डी. के प.नं. 65/366 के किला नम्बर 1 ता 18 व 24-25 व चक नम्बर 16 ZWD की आराजी प.नं. 65/366 के किला नम्बर 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुल 20 बीघा का बेचान वादी गुरुदेव सिंह के पक्ष में कर दिया है। इस इकरारनामा के आधार पर वादी का आराजी का कब्जा चला आ रहा है। अतः दावा वादी डिक्री कर चक नम्बर 76750 आर.डी. के प.नं. 65/366 के किला नम्बर 1/.228, 2 ता 9/2.024, 10/.228, 11/.076, 12/.177, 13 ता 16/1.012, 17/.215, 18/.051, 24/.013, 15/.052 कुल रकबा 4.176 है0 व चक 16 ZWD की आराजी प.नं. 65/366 के किला नम्बर 19/.051, 20/.152, 21/.228, 22/.253, 23/.164, 244/.084 कुल रकबा 0.937 है0 कुल 5.113 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये। दौराने वाद प्रार्थीया इमाम हुसैन पुत्री रमजान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या-1 ने मिलीभगत कर प्रार्थीया जो कि रमजान की वारिस है, उसके हकों से महरुम करने के लिए वाद प्रस्तुत किया है, जब कि प्रार्थीया रमजान की पुत्री व वारिस होने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, उसे पक्षकार बनाया जाये और प्रार्थीया के पति प्रतिवादी संख्या-2 रान्झा का नाम दावे से हटाया जाये। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26-4-2005 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, सी0पी0सी0 स्वीकार किया और दावे में प्रतिवादी संख्या-4 के रुप में स्वीकार किया गया और प्रार्थीया के पति प्रतिवादी संख्या-2 रान्झा का नाम दावे से हटाया जाने को अस्वीकार किया। प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया कि रमजान के हम तीन वारिस अँसा पत्नी रमजान, इमाम सैन पुत्र रमजान, इमामदीन पुत्र रमजान हैं और उक्त भूमि के हिस्सेदारों ने दिनांक 24.12.04 को अपने 2/3 हिस्से का हक त्याग प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या-4 के पक्ष में कर दिया है, जिससे प्रार्थीया समस्त भूमि की खातेदार मालिक हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 ने फर्जी वसीयत का हवाला दे कर दिनांक 27-3-04 को मनगढन्त इकरारनामा तैयार कर दावा किया है। प्रतिवादी संख्या-1 को दिनांक 9-12-1975 को इकरारनामा व कब्जा देने का अधिकार नहीं था। वसीयत एवं इकरारनामा मुझ प्रार्थीया पर निष्प्रभावी है और शूण्य है। इकरारनामा से वाद करना है तो सक्षम न्यायालय में करना चाहिए। प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादी के वाद को खारिज किया जाये। दौराने वाद वादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टि0ए0/5340/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/5362/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/6198/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या-2 दिनांक 24-1-05 को जरिये अधिवक्ता हाजिर था और दिनांक 26-4-05 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, सी0पी0सी0 स्वीकार किया जा कर इमाम हुसैन को पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 19.5.05 को प्रतिवादी संख्या 2, 4 को आगामी पेशी में जबाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया गया, प्रतिवादी संख्या 2, 4 ने जबाब पेश नहीं किया है। जबाब देने के 200 दिन गुजर चुके हैं, जब कि 90 दिन में जबाब देना चाहिए था, अतः अब उनके जबाब को रिकार्ड पर नहीं लिया जाये। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 64/04 भी इसी वाद के साथ प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 4-8-2006 के द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 को खारिज किया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1, सी0पी0सी0 को खारिज किया जा कर अप्रार्थी संख्या-4 द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा दिनांक 12-12-05 को अभिलेख पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रतिवादी संख्या-2 का जबाब बन्द किया गया। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। निगरानी संख्या 5340/2006 तथा निगरानी संख्या 5362/2006 में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार किए बिना ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 को खारिज किया है। आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान सुस्पष्ट हैं जिसके तहत वाद किसी विधि से वर्जित होने पर उसे आदेश 7 नियम 11 की आपत्ति के आधार पर खारिज किया जा सकता है। प्रश्नगत आराजी रमजान की रही है और रमजान के तीन वारिस अैंसा पत्नी रमजान, इमाम सैन पुत्र रमजान, इमामदीन पुत्र रमजान हैं और उक्त भूमि के हिस्सेदारों ने दिनांक 24.12.04 को अपने 2/3 हिस्से का हक त्याग प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या-4 के पक्ष में कर दिया है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1 ने फर्जी वसीयत का हवाला दे कर दिनांक 27-3-04 को मनगढन्त इकरारनामा तैयार कर दावा किया है। प्रतिवादी संख्या-1 को दिनांक 9-12-1975 को इकरारनामा व कब्जा देने का अधिकार नहीं था। इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद नहीं किया जा सकता है इसके लिए सिविल न्यायालय सक्षम न्यायालय है। वादी पक्ष की एडवर्स पजैसन के बाबत् कोई प्ली नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कोई विस्तार से विवेचन किये बिना ही वाद को खारिज किया है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टि0ए0/5340/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/5362/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/6198/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार इस नॉन रीजण्ड व नॉन स्पीकिंग निर्णय को निरस्त किया जाये और प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 को स्वीकार कर वाद को खारिज किया जाये। निगरानी संख्या 5340/2006 तथा निगरानी संख्या 5362/2006 में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादपत्र केवल इकरारनामा के आधार पर ही प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि वादपत्र में एडवर्स पजैसन की प्ली भी ली गई है और प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रुप से विस्तृत विवेचन करते हुये निर्णय पारित किया है। आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वाद को खारिज करने से प्रकरण में गुणावगुण पर परीक्षण नहीं हो सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत हस्तक्षेप उचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावें। निगरानी संख्या 6198/2006में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 दिनांक 4.6.05 को प्रस्तुत कर दिया था और 4.6.05 से दिनांक 4.8.2006 तक पत्रावली इस प्रार्थना पत्र के जबाब व सुनवाई में चलती रही, अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रार्थीया ने 90 दिन में जबाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 निर्णित होने के बाद प्रार्थीया को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक था। अतः निगरानी स्वीकार कर प्रार्थीया को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर दिलाया जाये। निगरानी संख्या 6198/2006 में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1, सी0पी0सी0 को खारिज किया जा कर अप्रार्थी संख्या-4 द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा दिनांक 12-12-05 को अभिलेख पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः अब पृथक से प्रार्थीया को जबाब प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित नहीं है। निगरानी को खारिज किया जाये। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन-अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के समक्ष वादी/गैर निगराकार की ओर से घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टि0ए0/5340/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/5362/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/6198/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद संख्या 155/2007 प्रस्तुत किया गया था और इसके साथ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 64/04 प्रस्तुत किया गया था। दौराने वाद प्रार्थीया इमाम हुसैन पुत्री रमजान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया गया और परीक्षण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26-4-2005 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10, सी0पी0सी0 स्वीकार किया और दावे में प्रतिवादी संख्या-4 के रुप में स्वीकार किया गया और प्रार्थीया के पति प्रतिवादी संख्या-2 रान्झा का नाम दावे से हटाया जाने को अस्वीकार किया। प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या-1 ने फर्जी वसीयत का हवाला दे कर दिनांक 27-3-04 को मनगढन्त इकरारनामा तैयार कर दावा किया है। इकरारनामा से वाद करना है तो सक्षम न्यायालय में करना चाहिए। प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादी के वाद को खारिज किया जाये। इसी प्रकार दौराने वाद वादी पक्ष की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1, सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2, 4 ने जबाब पेश नहीं किया है। जबाब देने के 200 दिन गुजर चुके हैं, जब कि 90 दिन में जबाब देना चाहिए था, अतः अब उनके जबाब को रिकार्ड पर नहीं लिया जाये। परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 4-8-2006 के द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 को खारिज किया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1, सी0पी0सी0 को खारिज किया जा कर अप्रार्थी संख्या-4 द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा दिनांक 12-12-05 को अभिलेख पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रतिवादी संख्या-2 का जबाब बन्द किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 के परीक्षण पर स्पष्ट है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार क- वाद हेतुक प्रकट नहीं करने, ख- अनुतोष का मूल्यांकन कम करने, ग-अपर्याप्त स्टाम्प पर वादपत्र लिखा गया हो, घ-वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, ड- वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना तथा, च- नियम 9 की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्र को खारिज किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में स्पष्ट है कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रतिकूल कब्जे की प्ली भी ली गई है और कृषि भूमि पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टि0ए0/5340/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/5362/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह निगरानी/टि0ए0/6198/2006/हनुमानगढ शीर्षक इमाम सैन बनाम गुरुदेव सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। इसी अभिमत को अंकित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, सी0पी0सी0 को निर्णित किया है। फलतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये निगरानी संख्या 5340/2006 तथा निगरानी संख्या 5362/2006 **निर्णित** करते हुये अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में इकरारनामा व प्रतिकूल कब्जे के बिन्दु पर पृथक से एक विधिक तनकियात कायम की जाये और उभय पक्ष को इस बिन्दु पर विधिवत सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये सर्वप्रथम इस बिन्दु को तय किया जाये। निगरानी संख्या 6198/2006 जो कि प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1, सी0पी0सी0 को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है को **अंशिक रुप से स्वीकार** करते हुये प्रतिवादी संख्या 2 व 4 प्रत्येक को रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पॉच सौ प्रत्येक मात्र) जिला विधिक प्रकोष्ठ में जमा कराई जा कर रशीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर जबाब प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30.4.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा के समक्ष उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	